F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमला देवी बनाम सुरेश कुमार वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा०पत्र वाजदायरी मुकदमा नम्बर– /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुये
03.08.2023	प्रार्थीया की ओर से वकील श्री रामावतार सैनी प्रथम एड0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः स्थापित करने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा उनवानी प्रकरण श्रीमती कमला देवी बनाम सुरेश कुमार वगै0 मुकदमा संख्या 178/2010 को दिनांक 19.07.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रार्थीया वृद्ध महिला होकर बीमार होने तथा अपने पुत्र के पास जयपुर में रहकर ईलाज करवाने के कारण न्यायालय में तारीख पेशी पर समय पर उपस्थित नहीं आ सकी एंव प्रार्थीया के अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित आने से पूर्व ही पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाये जाने के आदेश हो चुके थे। प्रार्थीया का प्रकरण अचल सम्पति से सम्बन्धित होने से प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र वाजदायरी पेश किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर वकील प्रार्थीया को सुना गया। वकील प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः स्थापित करने बाबत अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा उक्त उनवानी प्रकरण श्रीमती कमला देवी बनाम सुरेश कुमार वगै0 मुकदमा संख्या 178/2010 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आगामी पेशी 31.08.2023 नियत की जाती है। प्रार्थना पत्र वाजदायरी दर्ज रजिस्टर की जावे, पत्रावली शामिल मूल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) [stamp: दिलीप सिंह, उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested